छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
अधिसूचना

क्रमांक एफ 20–63/2015/11/(6) नया रायपुर, दिनांक 17/6/2015

राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2014–19 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अधिसूचित "विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान योजना" को क्रियान्वित करने हेतु दिनांक **1 नवंबर 2014** से प्रभावी **"छत्तीसगढ राज्य विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान नियम 2014"** निम्नानुसार लागू करता है :–

1– **परिचय :–**

राज्य में निःशक्तों को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने तथा निजी क्षेत्र में निःशक्तों को अधिकाधिक स्थायी नौकरी प्रदान करने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से औद्योगिक नीति 2014–19 में यह नवीन योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के क्रियान्वयन से नवीन एवं विद्यमान उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम, वृहद तथा मेगा व अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स) कोर सेक्टर सहित, राज्य के निःशक्तों को स्थायी नौकरी देने प्रोत्साहित होंगे।

2– **नियम :–**

ये नियम **"छत्तीसगढ राज्य विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान नियम 2014"** कहे जावेगें ।

3– **प्रभावी दिनांक:–**

ये नियम दिनांक **1.11.2014** से प्रभावी माने जावेंगे ।

4– **परिभाषाएँ :–**

4.1 इस योजना के क्रियान्वयन हेतु नवीन उद्योग, विद्यमान उद्योग, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट्स, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स, कोर सेक्टर योजना के क्रियान्वयन हेतु एवं अन्य बिन्दुओं की वहीं परिभाषाएँ होंगी जो औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट–एक पर अंकित हैं ।

4.2 स्थायी नौकरी से आशय वही है जो औद्योगिक नीति 2014–19 के अन्तर्गत परिभाषित "स्थायी रोजगार" का है।

4.3 "विकलांग/ निःशक्त" से आशय वहीं है जो औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट–एक में विकलांग/निःशक्त के तहत् परिभाषित है।

4.4 शुद्ध वेतन/ शुद्ध पारिश्रमिक से आशय है नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को भुगतान किया गया मूल वेतन+महंगाई भत्ता।

5— पात्रता :—

(1)— इस योजना के अन्तर्गत निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत सामान्य वर्ग/ अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग /अप्रवासी भारतीय/ प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों (एफ.डी.आई.), निर्यातक उद्योगों तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाएं प्रारंभ करने वाले निवेशक/ महिला उद्यमी/ भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक/ नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/ परिवार एवं निःशक्त वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित निवेश के आकार की दृष्टि से वर्गीकृत पात्र उद्योगों (उपाबंध—2 में सम्मिलित उद्योगों को छोड़कर) सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के नवीन एवं विद्यमान उद्योगों को अनुदान की पात्रता होगी।

(2)— इस योजना के अन्तर्गत अनुदान की प्रतिपूर्ति तब तक की जावेगी जब तक राज्य के निःशक्तों को स्थायी नौकरी में रखा जाता है किन्तु उन्हें न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि तक स्थायी नौकरी में रखा जाना आवश्यक होगा।

(3)— पात्र नवीन एवं विद्यमान औद्योगिक इकाईयों को प्रथम क्लेम इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक/ वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक जो पश्चात्वर्ती हो, से एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा ।

निःशक्त वर्ग को प्रथम बार स्थायी नौकरी दिये जाने के पश्चात् यदि पश्चात्वर्ती अवधि में निःशक्त वर्ग को पुनः नियुक्ति दी जाती है तो ऐसी नियुक्ति के छः माह के भीतर केवल सूचित किया जाना आवश्यक होगा ।

(4)— उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रबंधकीय/ प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम 33 प्रतिशत राज्य के मूल निवासियों को तब तक रोजगार प्रदाय किया जाना आवश्यक है जब तक निःशक्तजन स्थायी नौकरी पर रहते हैं ।

(5)— इस अधिसूचना के अन्तर्गत 1 नवम्बर 2014 के पूर्व जिन उद्योगों में निःशक्त व्यक्तियों को स्थायी नौकरी में रखा गया है, उन्हें पात्रता नहीं होगी किन्तु इस तिथि के पश्चात् यदि निःशक्त व्यक्तियों को स्थायी नौकरी देने की संख्या में वृद्धि की जाती है तो उन्हें बढ़ायी गई स्थायी नौकरियों की संख्या पर अनुदान की पात्रता होगी।

6— अनुदान की दर व मात्रा :—

क्षेत्र	दर व मात्रा
औद्योगिक दृष्टि से विकासशील एवं पिछड़े क्षेत्रों में **(औद्योगिक नीति 2014—19 के परिशिष्ट—7 एवं 8 के अनुसार)**	शुद्ध वेतन / पारिश्रमिक का 25 प्रतिशत

टीप :—

6.1 इस योजना के अन्तर्गत पूर्व वित्तीय वर्ष में निःशक्त कर्मचारियों को दिये गये शुद्ध वेतन/ पारिश्रमिक के आधार पर क्लेम किया जावेगा । पश्चात्वर्ती क्लेम भी वित्तीय वर्ष के आधार पर किये जावेंगे ।

6.2 अप्रवासी भारतीय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों (एफ.डी.आई.), निर्यातक उद्योगों तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाएँ प्रारंभ करने वाले निवेशकों को 5 प्रतिशत अधिक अनुदान देय होगा।

6.3 महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवा निवृत्त राज्य के सैनिक एवं नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति / परिवार एवं निःशक्तों को 10 प्रतिशत अधिक अनुदान देय होगा।

6.4 नियत दिनांक के पश्चात् स्थापित होने वाले समस्त औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों एवं नियत दिनांक के पूर्व स्थापित/स्थापनाधीन औद्योगिक क्षेत्रों/ औद्योगिक पार्कों में स्थापित होने वाले उद्योगों को जो नवीन भू–आबंटन प्राप्त करते हैं, उन्हें 10 प्रतिशत अधिक अनुदान देय होगा।

7— **<u>प्रक्रिया व अधिकार :–</u>**

7.1 औधोगिक इकाईयों को "उपाबंध 1" अनुसार निर्धारित प्रारूप में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ सबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा जिसकी प्राप्ति की रसीद "उपाबंध 3" में निर्धारित प्रारूप पर कार्यालय द्वारा दी जावेगी।

(1) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध–लघु उद्योग पंजीयन/ई0एम0 पार्ट–1/आई0ई0एम0/आशय पत्र/औद्योगिक लायसेंस (जो लागू हो)

(2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र

(3) निःशक्तता से संबंधित सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मय फोटो के

(4) उपाबंध– 5 अनुसार वित्तीय वर्ष में भुगतान किये गये वेतन से संबंधित पत्रक ।

(5) नियुक्ति आदेश की प्रतियां मय फोटोग्राफ।

7.2 निःशक्त व्यक्तियों द्वारा भी निजी औद्योगिक इकाईयों में स्थायी नौकरी दिये जाने हेतु संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों में आवेदन दिये जा सकेंगे । संबंधित महाप्रबंधक उक्त आवेदनों को आवेदक की वांछा अनुसार औद्योगिक इकाई में अथवा जहां वह उपयुक्त समझे स्थायी नौकरी देने हेतु आवेदन प्रेषित कर सकेगा।

7.3 औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात तथा निःशक्तों को स्थायी नौकरी देने के पश्चात् आवेदन संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जावेगा ।

7.4 मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों के प्रकरणों में "उपाबंध 4" के अनुसार स्वत्व का परीक्षण सहायक प्रबंधक स्तर के अधिकारियों से कराकर स्वत्व के नियमानुसार होने पर "उपाबंध 6" में निर्धारित प्रारूप पर "स्वीकृति आदेश" जारी किया जावेगा तथा नियमानुसार न होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा, जिसमें स्वत्व के निरस्तीकरण का कारण व निरस्तीकरण आदेश से औद्योगिक इकाई के सहमत न

होने की स्थिति में निर्धारित कालावधि 45 दिवसों में अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख होगा।

उपरोक्त से भिन्न प्रकरणों में मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक द्वारा प्रबंधक से स्थल निरीक्षण कराकर अपने अभिमत के साथ प्रकरण उद्योग संचालनालय को प्रेषित किया जावेगा जिस पर निर्णय उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय द्वारा लिया जायेगा ।

7.5 राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये गये रोजगार का सत्यापन प्रक्रिया उद्योग संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 164/औनीप्र/उसंचा–रा/2005/9766–81 दिनांक 13 जून 2006 के अनुसार किया जायेगा ।

7.6 स्वीकृति आदेश जारी होने के पश्चात् उद्योग संचालनालय द्वारा निःशक्त अनुदान मद के बजट का आवंटन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों से प्राप्त मांग के आधार पर बजट उपलब्ध होने पर किया जावेगा ।

7.7 अनुदान की राशि अग्रिम रूप से भी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को आबंटित की जा सकेगी।

7.8 बजट आंवटन उपलब्ध होने पर ही जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा औद्योगिक इकाई को स्वीकृत अनुदान की राशि वितरित की जावेगी । अनुदान का वितरण औद्योगिक इकाइयों को "अनुदान स्वीकृति" के दिनांक के क्रम में किया जावेगा । अनुदान की राशि नकद में नहीं दी जावेगी ।

7.9 बजट आवंटन उपलब्ध न होने के कारण अनुदान देने में विलंब होने पर इसका कोई दायित्व विभाग का नहीं होगा ।

8— "निःशक्त रोजगार अनुदान" की वसूली :—

(1)— यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है और इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की पूर्ण राशि एकमुश्त मय 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज, वसूली योग्य हो जावेगी व यह वसूली भू –राजस्व के बकाया की वसूली की भांति की जा सकेगी ।

(2)— अनुदान स्वीकृतकर्ता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात भविष्य में स्वत्व के नियमानुसार नहीं पाये जाने पर अनुदान का स्वीकृति आदेश निरस्त कर सकें एवं वसूली आदेश जारी कर सकें।

(3)— औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त बिन्दु कमांक 5 (4) में उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है तो अनुदान की राशि वसूल की जा सकेगी / अन्य देय अनुदानों में समायोजित की जा सकेगी ।

9– अपील / वाद :–

9.1– मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को की जा सकेगी तथा उद्योग आयुक्त/संचालक के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को की जा सकेगी ।

9.2– अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील अर्थात् द्वितीय अपील (मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पारित मूल आदेशों के संबंध में) राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को की जा सकेगी ।

9.3– सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में अपील शुल्क रूपये 1000 एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में रूपये 2000 का भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी । अपील शुल्क का भुगतान प्रथम अपील करने पर ही करना होगा द्वितीय अपील पर कोई शुल्क देय नहीं होगा । अनुसूचित जाति/ जनजाति के प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा ।

9.4– अपील शुल्क का भुगतान विविध प्राप्तियों के तहत स्वीकार करते हुए चालान के द्वारा स्वत्व निरस्तीकरण अधिकारी/ प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जावेगा/जमा किया जावेगा ।

9.5– अपीलीय अधिकारी को अपील करने में हुए विलंब तथा अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलंब एवं अधिसूचना के अधीन किसी अन्य बिन्दु पर प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर विचार कर निर्णय लेने का अधिकार होगा । अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा ।

10– स्वप्रेरणा से निर्णय :–

राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, प्रमुख सचिव/सचिव/उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग किसी भी अभिलेख को बुला सकेगें/स्वयं के निर्णय की/स्वीकृतकर्ता अधिकारी के निर्णय की समीक्षा कर सकेंगे तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे नियमानुसार उचित समझें, परन्तु अनुदान को निरस्त करने या उसमें कमी करने के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा ।

11– कार्यकारी निर्देश :–

योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/उद्योग संचालक सक्षम होंगे एवं परियोजना प्रतिवेदन अनुदान से संबंधित किसी मुददे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/ उद्योग संचालक द्वारा मार्गदर्शन दिया जावेगा ।

12— नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य किसी विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

13— इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।

14— **योजना का क्रियान्वयन**

योजना का कियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुबोध कुमार सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

उपाबंध–1
(नियम 7.1)
छत्तीसगढ़ राज्य विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान नियम–2014 के अन्तर्गत अनुदान हेतु आवेदन पत्र

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता

2– उद्योग का संगठन–

3– उद्यमी का वर्ग–

4– फैक्ट्री स्थल –
स्थान
विकास खंड
जिला

5– ई0एम0पार्ट–1 एवं ई0एम0पार्ट–2 कमांक व दिनांक

6– वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र कमांक व दिनांक –
6.1 उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता
6.2 वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक –
6.3 स्थायी पूंजी निवेश (रू. लाखों में) –

7– प्रदत्त रोजगार

श्रम वर्ग	रोजगार क्षमता	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4	5
अकुशल वर्ग अ .... ब .... स				
कुशल वर्ग अ .... ब .... स				
प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग अ .... ब .... स				
योग				

8. (अ) निःशक्त व्यक्तियों को दी गई स्थायी नौकरियों की संख्या –
अकुशल – .... ,कुशल –........... एवं प्रबंधकीय – .... योग ......

(ब) निःशक्त व्यक्तियों को दी गई स्थायी नौकरी पर भुगतान किया गया वार्षिक शुद्ध वेतन –

9. अनुदान की क्लेम राशि –

स्थान :
दिनांकः

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता

शपथ पत्र

1– यह शपथपूर्वक घोषित किया जाता है कि :–

1.1 छत्तीसगढ़ राज्य विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान नियम 2014 का पूर्णतः अध्ययन कर लिया है एवं इसके सभी प्रावधानों का पालन औद्योगिक इकाई द्वारा किया जावेगा ।

1.2 आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न स्व–प्रमाणी अभिलेख पूर्ण रूप से सही है

2– निःशक्त व्यक्ति जब तक स्थायी नौकरी में रहेंगे तब तक औद्योगिक नीति 2014–19 के प्रावधान अनुसार राज्य के मूल निवासियों को रोजगार प्रदान किया जावेगा।

3– उपरोक्त जानकारी गलत /त्रुटिपूर्ण / मिथ्या पाये जाने पर अन्यथा किसी भी घोषणा का उल्लंघन पाये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अनुदान राशि की वसूली मय 12 प्रतिशत साधारण ब्याज के मांग पत्र पर प्राप्त अनुदान की राशि मय निर्धारित ब्याज के साथ 15 दिवसों की अवधि में वापस की जावेगी ।

औद्योगिक इकाई के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता
दिनांक

टीप– आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर उक्तानुसार हस्ताक्षर किये जावें ।

संतृप्त श्रेणी के उद्योगों की सूची (अपात्र उद्योगों की सूची)

(अ) सम्पूर्ण राज्य हेतु संतृप्त उद्योगों की सूची –

(1) पान मसाला, गुटखा, सुपारी एवं तंबाखू आधारित उद्योग
(2) एल्कोहल, डिस्टलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बेवरेजेस
(3) फटाका, माचिस एवं आतिशबाजी से संबंधित उद्योग
(4) आरा मिल (सॉ मिल)
(5) लेदर टैनरी
(6) स्लाटर हाउस (बूचड़ खाना)
(7) किसी भी उत्पाद की रि–पैकिंग
(8) मिनरल वाटर
(9) पोलिथिन बेग (एच.डी.पी.ई. बेग्स को छोड़कर)
(10) कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग (कोल वाशरी को छोड़कर)
(11) चूना निर्माण, चूना पाउडर, चूना चिप्स, डोलोमाईट पाउडर एवं समस्त प्रकार के मिनरल पाउडर
(12) समस्त खनिज पदार्थों की क्रशिंग / ग्राईडिंग / पलवराइजिंग
(13) स्टोन क्रेशर / गिट्टी निर्माण
(14) स्पंज आयरन
(15) क्लिंकर
(16) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किये जाये।

(ब) औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में संतृप्त उद्योगों की सूची –

(1) राईस मिल, पेडी परबायलिंग एवं मेकेनाइज्ड क्लीनिंग
(2) हालर मिल
(3) मुरमुरा मिल
(4) राईस ब्रान आधारित साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट
(5) खाद्य तेल की रिफाईनिंग (स्वतंत्र इकाई) / रिफाईनरी
(6) मिनी सीमेंट प्लांट
(7) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए जाएं

टीप – संतृप्त श्रेणी का उद्योग किसी अन्य श्रेणी के उद्योग के साथ स्थापित किये जाने की दशा में संपूर्ण परियोजना में किये गये निवेश में से संतृप्त श्रेणी के उत्पाद में किये गये निवेश को कम कर शेष निवेश पर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी।

"उपाबंध–3"

(नियम 7.1)

(अभिस्वीकृति)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला....................................

मेसर्स .... पता.................................. .... द्वारा **छत्तीसगढ़ राज्य विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान नियम 2014** .... के अन्तर्गत आवेदन दिनांक... .... (अक्षरी)... को प्राप्त हुआ है । प्रकरण का पंजीयन कमांक .... है ।

टीप– भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन कमांक का उल्लेख करें ।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर

सक्षम प्राधिकारी / कार्यालय

सील

प्रति,

मेसर्स...

....

....

"उपाबंध 4"

(नियम 7.3)
निरीक्षण अधिकारी की टीप व अभिमत

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता

2– उद्योग का संगठन–
3– उद्यमी का वर्ग–

4– फैक्ट्री स्थल –
स्थान
विकास खंड
जिला

5– ई0एम0 पार्ट–1 का विवरण एवं दिनांक

6– ई0एम0 पार्ट–2 का विवरण एवं दिनांक

7– वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र का विवरण एवं दिनांक

8– उद्योग वर्तमान में चालू/ बंद है

9– औद्योगिक इकाई द्वारा निःशक्त वर्ग के .... व्यक्तियों को स्थायी नौकरी पर रखा है, जिसका कुल शुद्ध वेतन .... रूपये होता है। 25 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के रूप में अनुदान राशि .... रूपये के भुगतान की अनुशंसा की जाती है ।

11– रोजगार संबंधी टीप

क्र.	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार		राज्य के मूल निवासियों को रोजगार		प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियो को रोजगार का प्रतिशत
		औ0इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण पर पाया गया रोजगार	औ0इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण के दौरान पाया गया रोजगार	
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल वर्ग अ .... ब .... स .... योग					
2	कुशल वर्ग अ .... ब .... स .... योग					

3	प्रबंधकीय / प्रशासकीय वर्ग अ .... ब .... स .... योग					
	महायोग					

12— अभिमत / अनुशंसा

निरीक्षणकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम
पद

स्थान :
दिनांक:

निःशक्त कर्मचारियों को भुगतान किया गया वेतन
(नियम 7.1)

क्र.	निःशक्त कर्मचारी का नाम व पता	पदनाम	शुद्ध मासिक वेतन				कार्यरत् अवधि	वित्तीय वर्ष का शुद्ध वेतन
			कर्मचारी का मासिक मूल वेतन	महंगाई भत्ता	गृह किराया भत्ता	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

उपाबंध–6

छत्तीसगढ़ राज्य विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान नियम 2014 के अन्तर्गत अनुदान स्वीकृति आदेश
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र / उद्योग संचालनालय
(नियम 7.5)

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना कमांक .... दिनांक द्वारा अधिसूचित **छत्तीसगढ़ राज्य विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान नियम 2014** के नियम **क्रमांक 7.3** में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार **विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान** के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा जारी की जाती है ।

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता :

2– उद्योग का स्वरूप (नवीन / विद्यमान) :

3– उद्यमी का वर्ग :

4– उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता–

5– वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

6– औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल–
(स्थान, विकास खंड व जिला)

7– निःशक्त कर्मचारियों को दिया गया कुल वार्षिक शुद्ध वेतन :

8– स्वीकृत अनुदान राशि (अंकों व अक्षरों में)

(2) यह राशि वित्तीय वर्ष– .... के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी
....
....

(3) यह स्वीकृति इन शर्तों के अधीन है कि औद्योगिक इकाई को अधिसूचना की समस्त कंडिकाओं का पालन करना होगा, कंडिकाओं के उल्लंघन पर स्वीकृति आदेश निरस्त किया जावेगा ।

मुख्य महप्रबंधक / महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र /
उद्योग आयुक्त / संचालक उद्योग,
उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक 29-10-16

क्रमांक एफ–20–63/2015/11/6, चूंकि राज्य शासन को ''छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016'' के प्रावधानों के आधार पर यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2014–19 में औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन के तहत् अधिसूचित ''विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान योजना'' को क्रियान्वित करने हेतु इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17.06.2015 द्वारा जारी **''छत्तीसगढ़ राज्य विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान नियम–2014''** में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

(एक) उक्त अधिसूचना में पैरा 5 में उप पैरा (5) के पश्चात् निम्नांकित उप पैरा स्थापित किया जावे, अर्थात्

(6) छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र धारित करने वाले बीमार/बंद उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता को बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु अधोलिखित उप पैरा (7) के अनुसार अतिरिक्त निवेश करने पर विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान की पात्रता होगी।

(7) छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र धारित करने वाले बीमार/बंद उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के स्वामी को बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु बंद उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम 3.00 करोड़ रूपये या उत्पादनरत विद्यमान उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक तक प्लांट एवं मशीनरी मद में निवेशित पूंजी के न्यूनतम 25 प्रतिशत, **जो भी अधिक हो**, का अतिरिक्त पूंजी निवेश करने पर, तथा उद्योग विभाग में पंजीकृत मूल क्षमता या औसत उत्पादन, जो भी अधिक हो, में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि होती हो एवं कुल रोजगार में भी 10 प्रतिशत, की वृद्धि हो तथा विस्तारित वाणिज्यिक उत्पादन इस नीति की

कालावधि में प्रारंभ हो, तो विस्तार/डायवर्सीफिकेशन आदि के लिये किये गये अतिरिक्त पूंजी निवेश पर औद्योगिक नीति 2014–19 में घोषित विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान की पात्रता होगी किन्तु इसकी अधिकतम सीमा बंद उद्योग को देय शेष अनुदान एवं इस अतिरिक्त पूंजी निवेश पर देय अनुदान की अधिकतम सीमा औद्योगिक नीति 2014–19 में घोषित अनुदान की सीमा से अधिक नहीं होगी।

परंतु यदि बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के स्वामी को औद्योगिक नीति 2014–19 के तहत् एवं संबंधित विकलांग (निःशक्त जन) अनुदान अधिसूचना के तहत् यदि अनुदान अस्वीकृत या अमान्य हुआ है तो विकलांग (निःशक्त जन) अनुदान को स्वीकृत करने में अस्वीकृत या अमान्य प्रकरण को छोड़कर अन्य प्रकरण तथा नये निवेश के प्रकरणों में नये निवेश की सीमा तक ही विचार किया जायेगा और नियमतः पाये जाने पर पात्रता अनुसार अनुदान दिया जायेगा। अनुदान की अधिकतम सीमा उपरोक्त पैरा अनुसार होगी।

(दो) उक्त अधिसूचना में पैरा 6 में उप पैरा 6.4 के पश्चात् निम्नांकित उप पैरा जोड़ा जाये, अर्थात्

6.5 छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र धारित करने वाले बीमार/बंद उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता को बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान उपरोक्त पैरा 6 की तालिका एवं टीप क्र. 6.1 से 6.4 के अनुसार दिया जावेगा।

6.6 बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता को, उसका उद्योग राज्य गठन के पश्चात् जारी औद्योगिक नीति 2001–06/औद्योगिक नीति 2004–09/औद्योगिक नीति 2009–14 / औद्योगिक नीति 2014–19 के तहत् एवं संबंधित अधिसूचना के तहत् अनुदान हेतु अपात्र उद्योगों की सूची में रहने पर किन्तु औद्योगिक नीति 2014–19 में पात्र होने पर, बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु बीमार उद्योग/बंद उद्योग में पुनः उत्पादन प्रारंभ करने पर औद्योगिक नीति 2014–19 के अन्तर्गत उप पैरा 6.5 अनुसार अनुदान की पात्रता होगी।

(तीन) उक्त अधिसूचना में पैरा 7 में उप पैरा 7.1(5) के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा 7.1(6) जोड़ा जाये, अर्थात्

(6) छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बीमार/बंद उद्योग घोषित प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

(चार) बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता उद्योग को दिये जाने वाले अनुदान के संदर्भ में अधिसूचना दिनांक 17.06.2015 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(व्ही.के.छबलानी)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा.क्रमांक एफ–20–63/2015/11/6 नया रायपुर दिनांक 29-10-16

प्रतिलिपि :–

1. संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय छ.ग. रायपुर
2 नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय, रायपुर
कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में करवाने का कष्ट करें तथा उसकी 200 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध करायें।
3.. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला छ0ग0

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग